भारत में बाल यौन–शोषण एक ज्वलंत समस्याः चुनौतियाँ और समाधान

डॉ० कुँवर पाल सिंह
एस०ए०एफ० आई०सी०एच०आर०
नई दिल्ली
ईमेलः singhkawarpal720@gmail.com

डॉ० प्रमिला रानी
प्रावक्ता
मनोविज्ञान विभाग
इस्माईल गर्ल्स नेशनल इण्टर कॉलेज
शास्त्री नगर, मेरठ (उ०प्र०)
ईमेलः pramilak760@gmail.com

सारांश

''यदि हमें इस दुनिया में सच्ची शांति प्राप्त करना है और यदि हमें युद्ध के खिलाफ सचमुच युद्ध करना है, तो हमें अपने कार्य का आरम्भ बच्चों से करना होगा'' बाल यौन शोषण वर्तमान समय की विकराल समस्या है यह केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है सुना है कि हर समाज में बुराई का कारण शिक्षा का अभाव होता है लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है परन्तु फिर भी आधुनिक समाज में यह गंभीर रूप ले रहा है जिस की गिरफ्त में मासूम बच्चे आ रह हैं। बीते साल दिसम्बर 2018 के महीने में कोलकाता के जी0डी0 बिरला स्कूल की घटना में एक चार साल की बच्ची के साथ यौन–शोषण का केस सामने आया, जिसमें स्कूल से घर आने पर उसके निजी–अंगों से ब्लीडिंग होते हुए देखकर उसके माँ–बाप उसे हॉस्पिटल ले गए और फिर पता चला कि उसके अपने ही दो शिक्षकों ने उसके साथ यौन–शोषण किया था लेकिन ये एकलौता मामला है। यह हमारी हर रोज की जिन्दगी से परे एक असाधारण घटना है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 19.08.2022
Approved: 17.09.2022

डॉ० कुँवर पाल सिंह,
डॉ० प्रमिला रानी

भारत में बाल यौन–शोषण एक ज्वलंत समस्याः चुनौतियाँ और समाधान

RJPP Apr.22-Sept.22,
Vol. XX, No. II,

pp.304-310
Article No. 39

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

जब हम महिला और बाल विकास की तरफ देखते है तो पता चला है कि भारत में बारह साल और उससे कम उम्र के 53 फीसद बच्चे यौन–शोषण का शिकार बनते है दिन–प्रतिदिन बाल यौन–शोषण की घटनाओं और लगातार अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बावजूद भी हमारा समाज जाने–अनजाने में कई भूल कर रहा है जिसके चलते हमारे बच्चे स्कूल, गलियों और अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। भारत में बाल यौन शोषण कई कारणों की वजह से होती है, जैसे– शर्म, जागरूकता की कमी, बिना सवाल करें बड़ों की बात का पालन करना यौन सम्बन्धी सवालों पर चुप्पी साधना और भी कई सारे तत्व मिलकर अपराधी को आरोप से बचने की सुरक्षा दिलवाते हैं और हमें इन्हीं मुश्किलों को दूर कर बाल यौन शोषण को रोकना जरूरी है।

निजी–स्तर पर बाल यौन शोषण की पहचान और उसका सामना

अगर कोई बच्चा जिसके साथ यौन शोषण हुआ है के बारे में बताता हैं तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि–

1. बच्चे की हर बात ध्यान से सुनें और उसकी हर बात पर गौर करें,
2. उनकी बातों पर भरोसा करें। उनको ऐसा माहौल दें जिसमें वो खुलकर अपनी बात रख सकें,
3. उन्हें भरोसा दिलाये कि वे साहसी हैं और जो उनके साथ हुआ है उसमें उनका कोई दोष नहीं था।

आज आवश्यकता इस बात की है कि बाल शोषण से मुक्ति पाने की और कुछ सुझाव की और कुछ सुझाव की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा यह है कि–

1. बाल यौन–शोषण को रोकने के लिए जरूरी है कि बच्चों को सही और गलत का ज्ञान दिया जाए,
2. उनसे इस विषय में खुलकर बात की जाए ताकि वह समझ सके और कह सके,
3. बच्चों को यह भी ज्ञान होना जरूरी है कि कौन अपना है, कौन पराया है बच्चे तो नासमझ होते हैं फिर भी उन्हें कुछ हद तक ज्ञान देना आवश्यक है और साथ ही बच्चों को शारीरिक शोषण को समझाने के लिए अच्छे और बुरे टच का ज्ञान दिया जाना जरूरी है,
4. बच्चों को बातों को छुपाने के बजाय उसका खुलकर बताना होगा उसका विरोध करना होगा जिससे कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े,
5. यौन–शोषण संबंधित प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्राथमिक स्तर से शुरूआत कर देनी चाहिए जिससे वह खुद को संरक्षित कर सके।

हम आप क्या कर सकते हैं

1. जब कोई पीड़ित बच्चा अपने ऊपर हुए यौन हिंसा के बारे में बताएं तो उनकी हर बात को जिम्मेदारी और भरोसे के साथ सुनें।
2. बच्चे के आसपास रहने वाले बड़ों को इसके बारे में सूचित करें।
3. 1098– चाइल्ड हेल्प लाइन पर फोन करके उन्हें सूचित करें।
4. सुनिश्चित करें कि बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो।

5. पुलिस स्टेशन पर बाल यौन–शोषण की रिपोर्ट दर्ज करवाएं।
6. बच्चे के सामने उस घटना की ज्यादा चर्चा न करें। और मीडिया का दुरूपयोग न करे।

आपको क्या नहीं करना चाहिए

1. बच्चे पर दोष डालना या उनकी शिकायत को नजरअंदाज करना,
2. उत्तेजित प्रतिक्रिया देना जिससे उनके मन में और डर बनने लगे,
3. बच्चे को शोषण या शोषित करने वाले इंसान के पास वापस भेजना या इस घटना के बारे में चुप्पी साधने की सलाह देना, इससे बच्चे को बड़ों पर भरोसा करने से और हिचकिचाहट होगी,
4. बच्चे की पहचान सबके सामने या मीडिया में घोषित कर देना और बार–बार इस घटना की बातें दोहराना,
5. घटना के बारे में पता चलने के बावजूद भी बच्चे को मेडिकल सहायता न दिलवाना।

विधिक प्रावधान के तहत बाल यौन–शोषण से कैसे निपटा जाए

पास्को एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) जो साल 2012 में बच्चों को यौन–शोषण से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत निम्नलिखित निर्देश हैं–

1. घटना के बारे में पता चलते ही स्थानीय पुलिस को चौबीस घंटे के अंदर सूचित करें।
2. पुलिस स्टेशन के माहौल के डर से बच्चे की स्टेटमेंट सुविधा उचित जगह पर करने की व्यवस्था करे।
3. स्टेटमेंट देने के बाद, चौबीस घंटों के अंदर एक महिला डॉक्टर के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है,
4. स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड की जाती है उसे रिकॉर्ड कराये।

बाल यौन–शोषण का हर केस स्पेशल कोर्ट में जाता है। इस कोर्ट में कई प्रक्रियाएं आम प्रक्रियाओं से अलग होती हैं–

1. सबूत देने का बोझ अपराधी पर होता है,
2. बच्चे के हित के लिए उसको अपराधी के सामने कोर्ट में गवाही नहीं देनी होती है,
3. बच्चे को विशेष अनुवादक भी दिया जाता है,
4. शोषित बच्चों को मुआवजा भी दिया जाता है।

अक्सर हम बच्चे के साथ हुई घटनाओं को अपनी इज्जत से जोड़कर देखते हैं और यह मान लेते है कि इस समस्या का उजागर होने से हमारी इज्जत कम होगी, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती जिसके चलते बच्चों का हमसे विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को अपनी इज्जत के साथ न जोड़े उसका भविष्य बेशकीमती है।

एक समय गांधीजी बहुत आशावान थे कि आजादी के बाद भारत वास्तव में आजाद होने की जिम्मेदारी निभा पायेगा, जिम्मेदारी के निर्वहन में भारत बच्चों का संरक्षण कर पाएगा और एक बेहतर भारत बनेगा, उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत सात दशकों बाद ही हिंसा, यौनिक शोषण और दुर्व्यवहार के हथियार को लेकर अपने बच्चों के ही खिलाफ जंग छेड़ देगा।

राजनीतिक हस्तक्षेप एवं बाधाऐं

जब हमारे समाज और राजनीतिक प्रतिनिधि यह बात कहते हैं कि भारत बहुत महान देश है, भारत विश्व गुरू है, भारत महाशक्ति है, भारत का एक पंथनिरपेक्ष देश है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हमारे नेताओं का समूह बच्चों और महिलाओं के खिलाफ छिड़ी हुई हुई जंग, उनके साथ हो रही हिंसा, बलात्कार और बुरे बर्ताव को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति से घबराता है तथा संवेदनाओं और जिम्मेदारी के नाम पर चलाये जाने वाले अनाथालयों (तमिलनाडु प्रकरण) में बच्चों के साथ लैंगिक शोषण होता है, तभी तो कभी कठुओं हो जाता है, फिर मंदसौर हो जाता है, फिर देवरिया और मुजफ्फरपुर हो जाता है और हर घटना पर मोमबत्ती आंदोलन होता है, जरा सोचिये कि 21वीं शताब्दी के पहले सोलह सालों (वर्ष 2001 से 2016 तक) में भारत में 1,09,065 बच्चों ने आत्महत्या की है, 1,53,701 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। 2,49,383 बच्चों का अपहरण हुआ है।

बदतर स्थिति तब हो जाती है जब इनसे कई गुना ज्यादा बलात्कार, शोषण और बच्चों से अपराध के मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं, किसी भी समाज के मूल चरित का निर्धारण बच्चों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से ही हो सकता है, हमारा बर्ताव कैसा रहा है, यहां तो 95 प्रतिशत मामलों में परिजन और परिचित ही बच्चों को अपनी यौन कुंठा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं यह स्थिति तो और भयाभ्वह होती है जब उन्हें नए रूपों में धर्म ओर परंपरा का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि वे बोले नहीं जब परिजन की बलात्कार करते है और परिजन ही तय कर लेते हैं कि अपराधी को सजा मिले या नहीं! परिजनों को लगता है कि यदि कानूनी कार्यवाही होगी तो 'उनके कुटुंब' की गरिमा धूमिल होगी।

आर्थिक हालात एवं सामाजिक कठिनाईयां

हमारे आर्थिक विकास की नीतियों ने समाज और परिवारों के लिए आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया में केवल एक ही विकल्प छोड़ा है कि परिवार के हर व्यक्ति को 'आर्य अर्जन' के लिए जुटना ही होगा, जिसका परिणाम पारिवारिक टकराव होगा और संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने लगेगा, और बच्चे पारिवारिक वातावरण से दूर होंगे यानी परिवार, जो सबसे अहम बाल संरक्षण केंद्र होता था, वह केंद्र टूट गया। इन बदलती परिस्थितियां में समाज और सरकार ने यह आंकलन किया ही नहीं कि नए वातावरण में बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था क्या होगी?

राजनीतिक एवं धार्मिक हालात

शायद गांधीजी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि भारत जब विकसित हो जाएगा, तब उस भारत के दो तिहाई बच्चों को नियमित रूप से माँ का दूध भी नसीब न होगा। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि 90 फीसदी बच्चे सत्ता पर नियंत्रण का आकांक्षी समाज के कुछ तबकों में हमेशा से रही है। उस सत्ता तक पहुंचने का एक माध्यम धार्मिक टकराव और सांप्रदायिकता का बनाया गया। आरंभिक क्षणों में आर्थिक उन्नति ने कुछ खुशनुमा सपने दिखाए, पर बाद में जीवन को बचाए रखने का संघर्ष ही समाज के सामने इतना बड़ा हो गया कि बच्चे हाशिए पर चले गए। भारत की आर्थिक नीतियों ने परिवार को कठोर बना दिया। कठुआ में एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि दरिदंगी भी शर्मिंदा हो जाए, सब कुछ सामने था लेकिन सरकार, सियासत और अदालत को साफ–साफ दिखाई नहीं दे

रहा है मजहबी राजनीति ने नए मानक गढ़ना शुरू कर दिए हैं, अब यह देखा जाने लगा है कि यौन–हिंसा का शिकार बच्चा किस मजहब का है और शोषण या बलात्कार करने वाला किस मजहब का है! अब मजहब के आधार पर तय होगा कि बच्चे को इंसाफ मिलेगा या नही!

क्या यह संकेत नहीं है कि बच्चों के खिलाफ जंग छिड़ गई है? भोपाल में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इस पर सियासी नुमाइंदों ने कहा कि लड़कियों को देर शाम बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। उनका विश्लेषण था कि शरीर का प्रदर्शन करने वाले वस्त्रों से इस तरह की 'व्यवहार को आमंत्रण' मिलता है। बहरहाल वे ही बता पायेंगे कि आठ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना में कौन के कारक हो सकते हैं? मजहबी कट्टरपंथी राजनीति में बचचों का शोषण एक विद्यमान कारक हो गये है।

इंटरनेट का योगदान

इस विकास ने हमें तरंगों के जरिये संचार करने की तकनीक भी दी है। जिसे अपने इंटरनेट कहते है–पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री में से 14 प्रतिशत सामग्री पोर्न सामग्री है। हर 34 मिनट में एक पोर्न फिल्म तैयार होती है।

वर्ष 2016 में 4.6 अरब घंटों में 92 अरब पोर्न वीडियों देखे गए। हर एक सेकेंड में पोर्नोग्राफी पर 2.09 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं, जब हम डिजिटल इण्डिया की बात कर रहे हैं। तब हम यह भी कह रहे हैं कि जो पोर्न सामग्री बांटी जा रही है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है।

अब हजारों ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, जो यह साबित कर सकते हैं कि बच्चों के यौन–शोषण को प्रेरित करने वाला एक बड़ा माध्यम पोर्न सामग्री है, ताजा आंकलन के अनुसार पोर्नोग्राफी का बाजार 101 बिलियन डॉलर (6.7 लाख करोड़ रूपये) के बराबर है, स्वयं अंदाजा लागइए कि क्या बिना हिम्मत किए, बच्चों के पक्ष में खड़े हुए बिना, इस कारक को नियंत्रित किया जा सकता है? हमारी सरकारें इस मामलें में बेरूखी क्यों हैं, इन संदर्भों को ध्यान में रखकर विचारिए और बहस कीजिए कि किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए बने कानून (पॉक्सो एक्ट–2012) बाल विवाह निरोधक कानून, बाल मजदूरी रोकने वाले कानून समेत बच्चों को गरिमामय जीवन देने वाले नियमों के क्रियान्वयन में प्रतिबद्धता कब आएगी?

सबसे पहला बिन्दु तो यही है कि परिजन, पिता, भाई, शिक्षक, रिश्तेदार की शोषण कर रहे हैं, तब बच्चों को इनके द्वारा किये जाने वाले शोषण को सामने लाने की आजादी देनी होगी। वास्तव में हमें अपनी उस परंपरा को अब बदलना होगा, जिसमें बच्चों को बड़ों पर सवाल न करने की सीख दी जाती रही है।

इसके बाद यह मसला आएगा कि देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए बनी संस्थाओं का संचालन, प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था कैसी होना चाहिए?

पारिवारिक परिवेश व सामाजिक संस्थाऐं

मई 2017 में महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में अनाथालय में बच्चों के साथ शोषण के मामले सामने आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि भारत में बच्चों के संरक्षण और देखरेख के लिए ढेर सारे संस्थान, केंद्र और गृह हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पंजीकृत ही नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसी सभी संस्थाओं का पंजीकरण हो, उनकी निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा (सोशल ऑडिट) की ठोस व्यवस्था बने, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई। एक साल बाद पता चला कि कई राज्यों ने बाल गृहों और संस्थाओं ने सोशल ऑडिट कराने में कोई रूचि नहीं दिखाई। तब अदालत ने कहा कि इसका मतलब है कि यह मामला संगीन है और कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद ही मुजफ्फरपुर सामने आ गया, मुजफ्फरपुर अकेला नहीं हैं। मुजफ्फरपुर हर कहीं है।

सर्वोच्च न्यायाल के दखल से इन गृहों के सोशल ऑडिट की बात आगे बढ़ी, अन्यथा राज्य और केन्द्र सरकारी किसी भी कीमत पर चारदीवारी में बसी हुई नरकीय दुनिया को जगजाहिर करने के लिए तैयार नहीं होती। अभी भी यह सोचना बाकी है कि आखिर ये सोशल ऑडिट हो गया कैसे? कौन करेगा।

नियम यह कहता है कि हर बाल संरक्षण केंद्र में प्रशिक्षित परामर्शदाता होना चाहिए और बच्चों के लिए अपनी बात कहने के लिए स्थान बनाया जाना चाहिए, सच्चाई यह है बच्चों के साथ ज्यादातर संस्थानों में बच्चे आतंक के बीच रहते हैं और शारीरिक–मानसिक–भावनात्मक दबाव में दबे रहते हैं, बच्चों के साथ विभिन्न स्तरों पर (समूह और एकांत में) बाल मनोवैज्ञानिक तरीकों के आधार पर नियमित संवाद हो, मुजफ्फरपुर के अनुभव के बाद देश के कई केंद्रों में जमीन को भी खोद कर देखना होगा, बहुत बड़ी आशंका है कि कई बच्चों की लाशें देखने के लिए हमें तैयार होना पड़े! इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों के साथ–साथ समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इन संस्थानों की निगरानी और समीक्षा करने की कानूनी जिम्मेदारी किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और जिला बाल संरक्षण समिति की है, दुर्भाग्य यह है कि बाल कल्याण समिति में ज्यादातर सताधारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों दलों के प्रतिनिधियों और निजी हित साधने की मंशा रखने वाले लोगों को नियुक्त किया जाता रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 8,631 बाल देखरेख संस्थाएं काम कर रही हैं, इनमें से 1,522 संस्थाएं निर्धारित कानून के तहत पंजीकृत ही नहीं हैं, यानी वहां चल रही गतिविधियों के बारे में कुछ खास अता–पता नहीं हैं।

दिल्ली में 96 संस्थाओं में से 65 पंजीकृत हैं, छत्तीसगढ़ में 85 में से 77, कर्नाटक में 1250 में से 918, केरल में 1189 में से 371, महाराष्ट्र में 853 में से 749 संस्थाएं/पंजीकृत हैं।

मध्य–प्रदेश की जानकारी के अनुसार राज्य में 121 बाल संरक्षण संस्थाएं हैं, और सभी पंजीकृत हैं, किन्तु इस दावे को जांचे जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के गृहों में भी बच्चों के साथ लैंगिक शोषण होता है और उसे तंत्र जानकर छिपा लेता है।

भारत के सभी गृहों में 2,61,566 बच्चे रह रहे हैं, किन्तु ज्यादातर गृहों की स्थिति नारकीय है। एक तरफ तो शोषण की अवस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ अपमान, भूख, गंदगी और दुर्व्यवहार का माहौल है। यहां हर बच्चा सजायाफ्ता नागरिक होता है।

किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक शारीरिक या मानसिक रूप में विकलांग या असाध्य बीमारी से ग्रसित बच्चे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं या माता–पिता सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी जरूरतमंद बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। भारत में 749 पंजीकृत संस्थाओं में से केवल 192

संस्थाएं ही ऐसी बच्चों को रखती हैं। लेकिन उन संस्थानों के दरवाजें समाज के लिए बंद कर देना, प्रक्रिया को गोपनीय बना देना और गैर–जवाबदेयता को अपना लेना बहुत खतरनाक है।

निष्कर्ष व सुझाव

कुछ भी हो, बच्चों के हित समाज में केवल कानून को माध्यम नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए समाज के लोगों को भी सहानुभूति और आंखों में नमी पैदा करनी होगी, नैतिक संस्कार जिन्दा रखना होगा अन्यथा तंत्र तो बाजार सजाने के लिए तत्पर है ही, तब शायद देर हो जाय। अगर सच में बच्चों के प्रति संवेदना और करूणा है, तो शहर की ऊँची इमारत देखकर, मीडिया की फर्जी खबरों में बहकर, मजहबी सियासत की गंदगी राजनीति में लिपटकर और भीड़ के माध्यम से हिंसा के पक्षकार बनकर लोकतंत्र के लिए अपनी भूमिका मत चुनियेगा। इन बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के मकसद से अगर जीना है तो इन फूलों को मत मुरझाने दे, यही देश के भविष्य हैं आज हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस तरह की विकास नीति को हमने अपनाया है उसमें बच्चों के संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचे की अनिवार्य जरूरतें पूरी हो सके।

संदर्भ

1. गांधीजी कृत पुस्तक 'मेरे सपनों का भारत'. पृष्ठ **257.**
2. जैन, सचिन कुमार. ऐसी कोई जगह नहीं है. जहां बच्चों का लैंगिक शोषण न होता हो।
3. (2012). प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफसेंस एक्ट।
4. (1999). विश्व स्वास्थ्य संगठन/बाल शोषण रोकथाम पर परामर्श की रिर्पोट. (WHO/HSC/PV1/99.1) जिनेवाः (स्विटजरलैंड) विश्व स्वास्थ्य संगठन।
5. चौपड़ा, गीता. ''भारत में बाल अधिकार : चुनौतियां और सामाजिक कार्य''. रावत पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।
6. परकल, साजू., पणिकर, रीता. भारत में बच्चे और अपराध, कारक, आख्यान और हस्तक्षेप. रावत पब्लिकेशनः दिल्ली।
7. 'बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण'. महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासनः छत्तीसगढ़।